

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम...

बायतु

..... बनाम अचलाराम कोठ

किस्म मुकदमा... 21/2194-11,128 नं. 112 सन् 2018

RLR A-1-

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.3.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री... अचलाराम कोठ</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... 11, 128 RLR A-1</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू रक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विद्यार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.3.18 को प्रेष हो।</p>	
27/3/18	<p>प्रार्थी वहील उपलिखित। विद्यार्थीगिगों के नोटिस कागिल खुडा पावत जिसे कागिल पजावली विद्या गमा। विद्यार्थीगिग कावजुड कागिल तनु उपलिखित। प्रार्थी के प्राधिकरणा की उपपत्ति कागिल लुनी गई प्रार्थी के प्राधिकरणा ने कलमा की प्रार्थी के प्रपने ध्यातेगारी घेलों के चारों कोर पत्रके नेषाम स्थापित इतकाच कावरयुड के इमलिए प्रार्थी का नेषामबन्ती कावेन स्वीडाड विद्या जाडर नेषामबन्ती कावेन विद्या जावे। फलः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीडाड विद्या जाडर तशमालिगाट कागिलु हो इमिरानर नियुक्त विद्या जाला है व कावेन विद्या जाला है कि काय स्वमं मा प्रपने प्राधिनारु विद्या गी भू प्राधिलेय निरिखड के प्रार्थी के ध्यातेगारी घेलों की पत्रकी नेषामबन्ती मोडे पर खुडु जमा 27/3/18 को पालना रिपोट गवत होने पर कागिल पजावली को, पजावली निमल सुगाट हो, दर्ज नम्बर के इम हो, कागिल इमलर हो।</p>	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/ 418

दिनांक:-27/03/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पुनमाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
निवासी हेमाणियों का तला (बाटाडु)
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. अचलाराम पुत्र मगाराम वगैरा 16
जाति जाट निवासी हेमाणियों का तला
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 112/18

आदेश

मौजा हेमाणियों का तला पटवार हल्का बाटाडु तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1577/1526, रकबा 6.11 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमा ज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



419-423

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पुनमाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री अचलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु।

सहायक कमिश्नर (SDO),
बायतु
दिनांक:- 27/03/2018

सहायक कमिश्नर (SDO),
बायतु